रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 2013/आषाढ़ 29, 1935

No. 162] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 2013/ASADHA 29, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

(बागवानी प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 2013

सं. 11-7/2009-**बागवानी IV.**-कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीपीए) का मूल रूप से रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग में 1981 में गठन किया गया था, जिसने 1993 से कृषि एवं सहकारिता विभाग मेंकार्य करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावी बनानेके लिए और बागवानी में प्लास्टिक के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित रीति से इसके कार्यों का केन्द्रण करने के लिए एनसीपीए का राष्ट्रीय बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग समिति (एनसीपीएएच) के रूप में 2001 में पुनर्गठन किया गया था। तत्पश्चात् एनसीपीएएच का दिनांक 15.06.2007 को3 वर्ष की अवधि के लिए पिछली बार पुनर्गठन किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गतबागवानी में राष्ट्रीय बागवानी में प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग समिति (एनसीपीएएच) (एतशिमन समिति के रूप में संदर्भित) का पुनर्गठन किया जाए।समिति का गठन एवं विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं :-

क. **गठन :**

1.	केन्द्रीय कृषि मंत्री	– अध्यक्ष
2.	कृषि राज्य मंत्री	– उपाध्यक्ष
3.	सचिव (ए एंड सी), डीएसी	– सदस्य
4.	सचिव, रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग	– यथा –
5.	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर)	– यथा –
6.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	– यथा –
7.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	– यथा –
8.	अपर सचिव, विशेष सचिव, प्रभारी, बागवानी प्रभाग, डीएसी	– यथा –

9.	कृषि आयुक्त, डीएसी	– यथा –
10.	उप–महानिदेशक (बागवानी) आईसीएआर	– यथा –
11.	वित्त सलाहकार, डीएसी	– यथा –
12.	प्रधान सलाहकार (कृषि) योजना आयोग	– यथा –
13.	संयुक्त सचिव (एनएचएम), डीएसी	– यथा –

चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

14.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), कर्नाटक सरकार	सदस्य
15.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), गुजरात सरकार	– यथा –
16.	कृषि उत्पादन आयुक्त, पंजाब सरकार	– यथा –
17.	प्रधान सचिव (बागवानी), उत्तराखंड सरकार	– यथा –

नाबार्ड के प्रतिनिधि

18.	मुख्य महा–प्रबंधक, नाबार्ड, मुम्बई	सदस्य

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि

19.	निदेशक	सदस्य

दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति

20.	कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	सदस्य
21.	कुलपति, बालासाहब सावंत कृषि विद्यापीठ दपोली	– यथा –

हाई–टैक (उच्च तकनीक) वाले बागवानी उद्योग के प्रतिनिधि

22.	अध्यक्ष, भारतीय सिंचाई एसोसिएशन, बंगलौर	सदस्य
23.	ग्रीन हौज़ मैनुफैक्चर्स के प्रतिनिधि	– यथा –
24.	माईक्रोप्रोपेगेशन (टीसी) यूनिट के प्रतिनिधि	– यथा –

किसान एसोसिएशन

25. अध्यक्ष, भारतीय बागवानी, महासंघ (सीआईएच), पूणे, महाराष्ट्र सदस्य

सदस्य सचिव

26. बागवानी आयुक्त सदस्य सचिव

ख. विचारार्थ विषय

I. उत्पाद की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जल तथा सूर्य के प्रकाश जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के विशेष संदर्भ में सुनियोजित कृषि एवं कृषि में प्लास्टिक के उपयोग (प्लास्टिकल्चर) के जरिये बागवानी/कृषि विकास के संवर्धन में समन्वय स्थापित करना।

II. देश में सुनियोजित कृषि के जरिये से हाई टेक बागवानी/कृषि को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतिगत उपाय संस्तुत करना।

III. ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, संरक्षित खेती, सामुदायिक टैंक, फासलोपरान्त प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न सुनियोजित कृषि एवं प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोगों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करना।

IV. सुनियोजित कृषि प्रौद्योगिकी प्लास्टिकल्चर में आंकड़ा आधार तैयार करने तथा अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन को कारगर करना।

V. प्लास्टिकल्चर में घटक उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों के विकास में उचित कार्यनीतियों का सुझाव देना तथा क्षेत्र में ऐसे मानकों के उचित स्वीकृति सुनिश्चित करना।

VI. सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों जो इन स्कीमों में प्लास्टिकल्चर घटक के संबंध में एनएचएम, टीएमएनई, आरकेवीवाई आदि से जुड़ी हुई है, के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तरीके सुझाना।

VII. देश में सामान्य रूप से सुनियोजित कृषि विधियों तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के समय विकास तथा विशेष रूप से प्रीसीजन फार्मिंग विकास केन्द्रों (पीएफडीसीएस) के निष्पादन की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण करना।

VIII. देश में सुनियोजित कृषि एवं प्लास्टिकल्चर के संवर्धन से जुड़ा कोड अन्य मामला।

2. एनसीपीएएच की अवधि संकल्प जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अध्यक्ष एनसीपीएएच की सहमति से गैर–सरकारी सदस्य पद ग्रहण करेंगे। समिति की बैठक जब कभी आवश्यक होगी तभी आयोजित की जायेगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समिति सरकार को वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

3. समिति को अपेक्षित अनुसचिवीय सहायता एनसीपीएएच के केन्द्रीय समन्वय सैल द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाएगी, जिसमें इंडियन पैट्रो कैमिकल्स कॉरपोरेशन लि. या अन्य उपयुक्त एजेंसी से लिए गए कार्मिक शामिल हैं। सदस्य सचिव द्वारा एनसीपीएएच के दैनिक कार्यकलापों की निगरानी की जाएगी और यह निकाय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जिक्यूटिव) के रूप में काम करेंगे।

4. समिति के कार्य के लिए की गई यात्रा के संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा अन्य गैर–सरकारी सदस्यों के यात्रा/दैनिक भत्ते के व्यय की राशि को समिति को आवंटित राशि में से वहन किया जाएगा। अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में इस प्रकार के व्यय की राशि को उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

(Horticultural Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2013

No. 11-7/2009-Hort. IV.— The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture and Cooperation since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this Committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the application of plastics in Horticulture, NCPA was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). Thereafter, NCPAH was last constituted on 15.06.2007 for a period of three years. It has been decided to reconstitute National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred to as the Committee) under the Department of Agriculture and Cooperation. The composition and Terms of Reference (TOR) of the Committee are as under:-

A. Composition:

1.	Union Agriculture Minister	Chairman
2.	Minister of State for Agriculture	Vice-Chairman
3.	Secretary (A&C), DAC	Member
4.	Secretary, Deptt. of Chemicals Petrochemicals	-do-
5.	Secretary (DARE) & DG (ICAR)	-do-
6.	Secretary, Ministry of Water Resources	-do-
7.	Secretary, M/o Panchayati Raj	-do-
8.	Special Secy./Addl. Secretary, I/c of Horticulture, DAC	-do-
9.	Agriculture Commissioner, DAC	-do-
10.	Dy. Director General (Horticulture.), ICAR	-do-
11.	Financial Adviser, DAC	-do-

12.	Principal Adviser (Agri.), Planning Commission	-do-
13.	Joint Secretary (NHM), DAC	-do-

Representative of four State Governments

14.	Principal Secretary (Agri/Horti.), G/o Karnataka	Member
15.	Principal Secretary (Agri/Horti.), G/o Gujarat	-do-
16.	Agriculture Production Commissioner, Govt. of Punjab	-do-
17.	Pr. Secretary (Horticulture), G/o Uttarakhand	-do-

Representative of NABARD

18.	Chief General Manager, NABARD, Mumbai	-Member

Representative of Bureau of Indian Standards

19.	Director, Bureau of Indian Standards, New Delhi	-Member

Vice-Chancellors of two States Agricultural Universities

20.	Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore	-do-
21.	Vice-Chancellor, Balasaheb Sawant Krishi Vidyapeeth Dapoli	-do-

Representative of Hi-tech Horticulture Industry

22.	President Irrigation Association of India, Bangalore	-Member
23.	Representative of Greenhouse Manufacturers	-do-
24.	Representative of Micropropagation (TC) Units	-do-

Farmer's Associations

25.	President, Confederation of Indian Horticulture (CIH), Pune, Maharashtra	- Member

Member Secretary

26.	Horticulture Commissioner	-Member Secretary

B. Terms of Reference

I. To coordinate in promotion of horticulture / agriculture development through use of plastics in agriculture (Plasticulture) with special reference to harnessing

available natural resources such as water and sunlight in improving the productivity and quality of the produce.

II. To recommend suitable policy measures for promotion of plasticulture in the country.

III. To facilitate increased adoption of various plasticulture applications like drip and sprinkler irrigation system, protected cultivation, community tanks, post harvest management etc.

IV. To facilitate in promotion of Research and Development and to build data-base in plasticulture.

V. To suggest suitable strategies in development of quality standards for products used in plasticulture and to ensure proper adoption of such standards in the field.

VI. To suggest ways and means for effective implementation of Centrally Sponsored Schemes on Micro-irrigation having integration with NHM, TMNE, RKVY, etc. in relation to plasticulture components in these schemes.

VII. To supervise and monitor effectively the performance of Precision Farming Development Centers (PFDCs) in particular and overall development of Precision Farming methods and hi-tech interventions in general in the country.

VIII. Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

2. The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non-official members shall hold office during the pleasure of the Chairman, NCPAH. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The committee shall submit its report to the Government on annual basis.

3. The secretarial assistance required for the committee will continue to be provided by the Central Coordination cell of NCPAH serviced by personnel drawn from the Indian Petrochemicals Corporation Limited or any other suitable agency. The Member Secretary will oversee the day to day activities of NCPAH and function as Chief Executive on the body.

4. The expenditure on TA/DA of the Vice-Chancellors of State Agricultural Universities and the non-officials members in connection with the journeys undertaken on Committee's business will be met out of the funds allocated for the committee. The corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective departments.

Dr. GORAKH SINGH, Horticulture Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.